DRoP

24-9-2021
41/0/4

राजस्थान – सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

# तहसीलदार (राजस्व), नोहर

| नाम सीगा | नम्बर रजिस्टर | तारीख दायरा | तारीख फैसला | तादाद कागजात क | ख | योग | नं० रजि० मुहा० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| धारा 22 | 10/2021 | 15/9/2021 | 22/10/2021 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | ब | किरसन पुत्र हरलाल |
| सरकार | ना | जाति जाट सा. खरसण्डी |
| | म | |

(श्री वकील) (श्री वकील)

फहरिस्त कागजात

| नवम्बर शुमार | तारीख शामिल | विवरण कागजात | तादाद |
|---|---|---|---|
| | | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

| | | |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकि हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वंय से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं0 1 किरसन पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी एवं जयकरण डूगरराम रामलाल हनुमान महावीर ईन्द्राज पि0 मधाराम जाति जागीड द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 में से अप्रार्थी स0 1 द्वारा 0.253 है0 में ग्वार एवं अप्रार्थी स0 2 द्वारा 0.253 है0 ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 60 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को आदेश दिये जाते है कि वे कुर्क शुद्वा खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।<br>पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।<br>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।<br>तहसीलदार(राजस्व)<br>नोहर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 10 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

किरसन पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी वगै0

**अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954**

**निर्णय दिनांकः**— 22.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं0 1 किरसन पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी एवं जयकरण डूगरराम रामलाल हनुमान महावीर ईन्द्राज पि0 मधाराम जाति जागीड द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 में से अप्रार्थी स0 1 द्वारा 0.253 है0 में ग्वार एवं अप्रार्थी स0 2 द्वारा 0.253 है0 ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्व अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वंय से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार—बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू—राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 60 /— से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

प्रारूप–क

(देखिये नियम 3)

## राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 10 सम्वत् 2078 सरकार बनाम जयकरण, डुंगरराम, रामलाल, हनुमान, महावीर, इन्द्राज, पि. रूघाराम जाति जाणीक सा. खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरसण्डी के ख. नं. 26 की चारागाह भूमि पर 0.253 हैक्टेयर की फसल काश्त की है)

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/9/21 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावें।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्वत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नही अधोरोपित की जावें।

यह ओर नोटिस दिया जावें कि आपने गत कृशि वर्श में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित हैं कि क्यों नही आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/9/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षारित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई ।

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

10/21

२।०।२१
३२
8/10/21

# फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब नोहर के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री किरसन लाल पुत्र श्री हरलाल वगैरह जाति जाट निवासी खरसण्डी की चल / अचल संपत्ति किरसन पुत्र हरलाल जाति जाट सा. खरसण्डी, जयकरण, डूगरराम, रामलाल, हनुमान, महावीर, इन्द्राज पि. मघाराम जाति जाट सा. खरसण्डी द्वारा ख.न. 26 मौ. 3 चारागाह पर हू.प्रार्थी 01 द्वारा 0.253 हे. ग्वार व प्रार्थी 02 द्वारा 0.253 हे. ग्वार की फसल को

..............................................................................................

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति खुर्द बुर्द न करे अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री .................... पुत्र श्री .................... जाति .............. निवासी .............. राजेन्द्र सिंह पटवारी की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति खुर्द बुर्द हो तो रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

Om
8/10/2021

लालचंद
हल्का पटवारी
8-10-2021
भू०अ०नि०

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

# कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1159 दिनांक: 22.10.2021

## आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 किरसन पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी एवं जयकरण डूगरराम रामलाल हनुमान महावीर ईन्द्राज पि0 मधाराम जाति जागीड द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 में से अप्रार्थी स0 1 द्वारा 0.253 है0 में ग्वार एवं अप्रार्थी स0 2 द्वारा 0.253 है0 ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 60 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

759

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कमाक / राजस्व / 2021 / 1160-62 दिनांकः– 22.10.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करे।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested